उत्तर प्रदेश सरकार

हर घर जल
जल जीवन मिशन

आओ मिलजुल कर हाथ बढ़ाएं, हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाएं

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जल निगम (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश

TATA TRUSTS

TATA TRUSTS

जो गाँव जुड़ा है
वो ही सम्मान से खड़ा है

हर घर नल से पहुँचना है
शुध्द और सुरक्षित पानी
सब साथ मिल कर
यह जिम्मेदारी है निभानी

खिल जाएगा आपका भी आँगन
घर ले आएँ सम्मान कनेक्शन

सेहत और समय का सम्मान
सम्मान कनेक्शन

अनुक्रमणिका

पॉकेट डायरी के बारे में	1
जल के महत्व	2
हर घर जल 'जल जीवन मिशन'	3
जल जीवन मिशन के लक्ष्य	4
जल जीवन मिशन के लाभ	5
अस्वच्छ पेयजल के 'पंचसूत्र'	6
जल स्रोत संदूषित न होने के उपाय	7
पेयजल के रासायनिक एवं जैविक मापदंड	8
दूषित पेयजल प्रयोग से मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव	9
जल शोधन संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट)	10
ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति	11
ध्यान रखने योग्य बातें	12
नियमित पानी टंकी की सफाई	13
जल संरक्षण एवं संवर्धन	14
नियमित पाइप की देखरेख	15
घर में पानी को ढक कर रखना और सही उपयोग	16
पानी टंकी बनने के समय इन बातों का रखें ध्यान	17
टंकी लग जाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान	19

पंचसूत्र कार्यान्वयन के बाद	21
पानी की टंकी के रखरखाव व नियमित संचालन के विषय में मुख्य बातें	24
तकनीकी पक्ष	26
पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाना	27
पाइप का भंडारण	29
सीमेंट का भंडारण इस प्रकार हो	30
पंपहाउस के मुख्य बिन्दु	32
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	33
देखरेख के फीडबैक को संकलित करने लिए प्रारूप	34

पॉकेट डायरी के बारे में

इस पॉकेट डायरी में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्लूएससी/पानी समिति) के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई है, जो जल जीवन मिशन कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोगात्मक देख रेख के लिए उपयोगी है।

ये डायरी ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के साथ ही समुदाय के लोगों को उनके दायित्वों के बारे में बताती है।

ये पॉकेट डायरी जल जीवन मिशन की गुणवत्ता बनाए रखने में लाभकारी साबित होगी। इसके साथ ही सरकार के मंशा के अनुरूप अपना सकारात्मक योगदान देते हुए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति अपने जिम्मेदारियों को निभा पाने में सफल होगी।

आशा है कि यह पॉकेट डायरी जल जीवन मिशन से जुड़ी कार्यदायी संस्था, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसए) और सेक्टर पार्टनर्स के सहित अन्य मुद्दों से जुड़े हितभागियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

जल के महत्व

पृथ्वी का बड़ा भू-भाग 71 प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन 97 प्रतिशत का उपयोग आम जनमानस हेतु नहीं किया जा सकता है।

दो प्रतिशत पानी भूजल में निहित है जिसमें से मात्र 1 प्रतिशत का ही उपयोग किया जा रहा है।

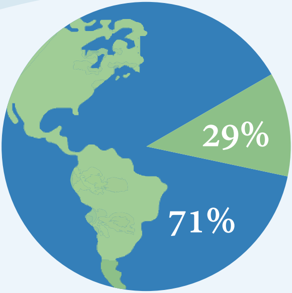

जल ही जीवन है

सही मात्रा में पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यहां तक कि हमारी चमड़ी, हृदय, खून आदि में भी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। पानी के बिना मनुष्य 5 दिन से अधिक नहीं जीवित रह सकता इसलिए जल को जीवन कहा गया है।

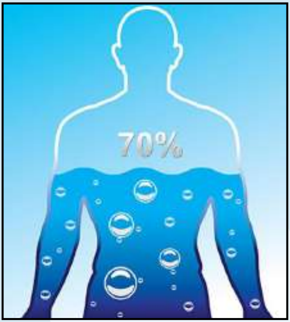

हर घर जल 'जल जीवन मिशन'

'जल जीवन मिशन' की घोषणा **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019** को **लाल किले** से की थी। **जल जीवन मिशन** को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश मिलकर काम कर रहें हैं।

यह मिशन पेयजल को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के साथ-साथ दीर्घ कालिक जल स्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन आदि की कार्य योजना पर कार्य करता है। ये मिशन सामुदायिक स्वामित्व पर जोर दे रहा है।

जल जीवन मिशन के लक्ष्य

इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करना है।

जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 12,20,49,438 ग्रामीण परिवारों तक नल स्वच्छ पेयजल पहुंच चुका है।

यूपी में लक्ष्य के सापेक्ष में 1,22,65,891 ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।

जल जीवन मिशन के लाभ

- ग्रामीण परिवारों को मिशन के माध्यम से नल से स्वच्छ पेयजल मिल रहा है।
- जल जीवन मिशन के तहत घरों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध होने से महिलाओं व किशोरियों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्हें पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं जाना पड़ रहा है।
- महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- घर में पानी की सुविधा उपलब्ध होने से महिलाएं अपने काम को समय से कर पा रहीं हैं।
- जल से संबंधित सभी समस्याओं से ग्रामीण परिवारों को मुक्ति मिल रही है।
- आने वाली पीढ़ी को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए बच्चों को मिशन के तहत जल संरक्षण के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।
- ग्रामीण परिवार जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल के स्रोतों में वृद्धि हो रही है।

अस्वच्छ पेयजल के

पंचसूत्र

- जल स्रोत के आस- पास कूड़े-कचरे का बहाव ।
- जल स्रोत के पास कपड़े और बर्तन धोना ।
- जल स्रोत के पास जल जमाव होना।
- जल स्रोत के नजदीक शौचालय होना ।
- जल स्रोत पर चबूतरा न बना होना ।

जल स्रोत संदूषित न होने के उपाय

01 जल- स्रोत के चारों ओर पक्का चबूतरा बनवाना ।

02 जल- स्रोत के पास पक्का नाला तथा सोख्ता, गड्ढा बनवाना ।

03 जल- स्रोत के नजदीक शौचालय न बनवाना ।

04 जल- स्रोत के नजदीक कपड़े और बर्तन नही धोना ।

05 जल- स्रोत के नजदीक साफ सफाई रखना।

06 जल-स्रोत के आस-पास समय-समय पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना।

नलकूप स्थल से -

10 मीटर की दूरी तक कोई शौचालय या उसका रिसाव न हो।

50 मीटर की दूरी तक कुआं या हैंडपंप न हो।

15 मीटर की दूरी तक इलेक्ट्रिक फीडर लाइन, पेड़ न हो।

पेयजल के रासायनिक एवं जैविक मापदंड

क्र0 सं0	पैरामीटर	इकाई	आवश्यक ग्राह्य सीमा	वैकल्पिक स्त्रोत के आभाव में ग्राह्य सीमा
1	कुल घुलित लवण	मिली ग्राम प्रति लीटर	500	2000
2	कलर	हैजन	5	15
3	गंदलापन	एन.टी.यू	1	5
4	कुल कठोरता	मिली ग्राम प्रति लीटर	200	600
5	पी.एच.		6.5-8.5	6.5-8.5
6	फ्लोराइड	मिली ग्राम प्रति लीटर	1	1.5
7	आर्सेनिक	मिली ग्राम प्रति लीटर	0.01	0.01
8	आयरन	मिली ग्राम प्रति लीटर	0.3	0.3
9	नाइट्रेट	मिली ग्राम प्रति लीटर	45	45
10	ई-कोली एंड टीटीसी बैक्टीरिया	संख्या प्रति 100 मिली लीटर	0	0
11	अवशिष्ट क्लोरीन	मिली ग्राम प्रति लीटर	0.2	1

BIS 10500:2012 द्वारा पेयजल में निर्धारित स्वीकार्यता सीमा से अधिक रासायनिक तत्वों से दूषित पेयजल का खाना बनाने व पीने में प्रयोग से मानव शरीर में पड़ने वाले दुष्प्रभाव

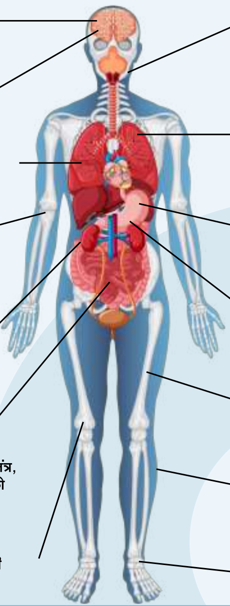

जल शोधन संयंत्र
(वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट)

भूजल का क्लोरीनेशन करके एवं सतही/नदियों के जल को जल शोधन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करके घरों तक सुरक्षित जल पहुंचाया जाता है।

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्लूएससी/पानी समिति)

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्लूएससी/पानी समिति), पंचायती राज अधिनियम के तहत गठित एक उप समिति है, जो जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए सीधे जिम्मेदार और जवाबदेह है। इसमें कुल 10 से 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं, 25 प्रतिशत चयनित पंचायत सदस्य और 25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं।

वीडब्लूएससी/पानी समिति का दायित्व

जल जीवन मिशन से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए गांव स्तर पर क्रियान्वन के व्यवहारिक मुद्दे जैसे सामूहिक प्रयास के लिए एकजुटता, संसाधनों के सही उपयोग के लिए सामुदायिक पहल, कार्यक्रम की निरंतरता के लिए एकजुटता, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्लूएससी / पानी समिति) की भूमिका पानी की टंकी बनाने के पहले, निर्माण कार्य के दौरान और बाद में भूमिकाओं को चिन्हित किया गया है।

ध्यान रखने योग्य बातें

मिशन के तहत गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा रहा है।

1- नियमित पानी टंकी की सफाई

2- कम से कम वर्ष में दो बार पानी की गुणवत्ता जांच

3- जल संरक्षण\ जल संवर्धन

4- नियमित पाइप की देखरेख

5- घर में पानी को ढक कर रखना और सही उपयोग

नियमित पानी टंकी की सफाई

स्वच्छता स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जल जीवन है तो वहीं स्वच्छता वायु है। इन दोनों में किसी एक के अभाव में खुशहाल जीवन संभव नहीं है।

ऐसे में जल जीवन मिशन के द्वारा ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, पर नियमित टंकी की सफाई हमारा दायित्व है।

वर्ष में दो बार करें जल गुणवत्ता की जांच

समूह की महिलाएं व बेटियां एफटीके प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़कर आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रहीं हैं। महिलाएं जल जीवन मिशन के जरिए दूसरों को भी जागरूक करने का काम कर रहीं हैं। जल जीवन मिशन ने महिलाओं की जिंदगी में आशा की किरण बिखेरी है। जल की गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित पांच महिलाओं के द्वारा सभी पेयजल स्रोतों की कम से कम वर्ष में दो बार तथा रसायन प्रदूषण के कारण वर्ष में कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए।

जल संरक्षण एवं संवर्धन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर हमें ग्रामीण अंचलों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन भागीदार पर आधारित नए कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू करनी होगी। भारत सरकार व राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए योजनाओं के माध्यम से उत्प्रेरक सुविधाए जुटाने और वातावरण निर्माण का कार्य किया है। अब समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ट्यूबवेल, कुओं और तालाबों का पुनर्भरण कर उसकी रिचार्जिंग करनी होगी। वर्षा जल के बहते पानी को रोक कर धरती को सजल बनाना होगा।

'खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में' की परिकल्पना को साकार करते हुए जल संरक्षण करना होगा। समुदाय एवं गांव के लोगों को यह बताना होगा कि जल संरक्षण जनसहभागिता से ही संभव है। सबको मिलकर प्रयास करना होगा और जितना पानी धरती मां से लेंगे उतना ही पानी रिचार्जिंग के माध्यम से वापस करना होगा ।तभी हम पानी की निरंतर हो रही कमी को पूरा कर पाएंगे।

नियमित पाइप की देखरेख

पाइप की साइज, गुणवत्ता, गहराई, ब्रांड, मोटाई, पाइप के भंडारण का पूरा ध्यान नियमों के अनुसार रखा जाए। अगर कहीं पर कोई भी दिक्क्त होती है, तो पानी पहुंचने में समस्या होगी।

घर में पानी को ढक कर रखना और सही उपयोग

- सुरक्षित पानी को हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर ढक कर रखना चाहिए ताकि पानी में मच्छर न पनपें और पानी दूषित न हो पाएं।
- पानी को ऐसे बर्तनों या घड़ों में रखें जिन्हें नियमित रूप से धोया जाता है।
- मिट्टी के टोटी वाले घड़ों का प्रयोग करें जिससे पानी दूषित नहीं होगा।

पानी टंकी बनने से पहले, दौरान और उसके बनने के बाद ध्यान देने योग्य प्रमुख बिन्दु

पानी टंकी बनने के पहले इन बातों का रखें ध्यान

हम सभी को सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को मिल कर सफल बनाने की आवश्यकता है। समिति के लोगों को चाहिए की अपने-अपने मोहल्लों में टोला समिति बनाए और जो समस्याएं आएं उस पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में विचार किया जाए।

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाने में मदद करें।

- टंकी के लिए जमीन लेखपाल से मिलकर सुनिश्चित करवाएं।
- समिति की नियमित बैठक में सुरक्षित पानी पर चर्चा।
- समिति के सभी सदस्य अपने मोहल्ले में चर्चा करें और इस परियोजना के बारे में सभी को अवगत कराएं।
- चयनित आईएसए, सेक्टर पार्टनर के साथ मिलकर ग्राम कार्ययोजना बनाएं।
- पानी की जांच इत्यादि में सहयोग करते रहे।
- समुदाय अशंदान का निर्धारण और बैंक खाते में इसे जमा कराएं।

पानी टंकी बनने के समय इन बातों का रखें ध्यान

- ग्राम सभा बैठक कर गांव वालों को सूचित करें की कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
- पाइपलाइन बिछाने का कार्य जलाशय के पास से ही प्रारंभ हो।
- पाइपलाइन में लगे वॉल्व की सुरक्षा हेतु वॉल्व चैम्बर का निर्माण अवश्य हो।

- जिन लोगों के घर के सामने से पाइप जाये वो मानक के अनुरूप कार्य की देखरेख करने में सहयोग दें ।
- बोरिंग करते समय कार्यदायी संस्था का सहयोग करें। कम से कम 330 मीटर तक नीचे बोरिंग करने के लिए बोलें या डीपीआर के अनुसार किया जाए।
- कार्य के समय जो लेबर लगाये जाये वो स्थानीय हो जिससे रोजगार सृजित हो सके।
- जहां भी खुदाई का कार्य हो कार्य समाप्त होने पर यथास्थिति बनाए रखना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी है।
- ग्रे-वॉटर प्रबंधन के लिए ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करते हुए जलसंचय के लिए गावं के लोगों को प्रेरित कर ग्राम पंचायत विकास योजना में सोकपिट, ड्रेनेज सिस्टम, अमृत सरोवर जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। योजना में प्रस्तावित वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण अवश्य हो।

टंकी लग जाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

- जब समय उपयुक्त हो तो मोहल्ले में अंशदान और टैरिफ पर चर्चा करें क्योंकि स्कीम हैंडओवर होने पर पूरी जिम्मेदारी पानी समिति की होगी।
- यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि सभी ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन मिल गया हो
- कैशबुक लेजर बुक में हिसाब सही तरीके से रखा जाए। हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाए रखें।
- घर में नल से पानी लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, परन्तु टंकी एवं पाइपलाइन के रख-रखाव व मरम्मत के लिए पानी समिति आम सहमति से कुछ न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क मासिक तौर पर जमा करें।
- टंकी निर्माण के बाद पानी समिति की नियमित बैठक करते हुए समय से सभी निर्णयों को लिया जाए।

- जो परिवार नियमित टैरिफ नहीं दे पा रहा है उनसे मिलकर कारणों को समझें और उस पर विचार करें।
- ग्रे-वॉटर प्रबंधन के लिए नियमित देखरेख।
- ऑपरेटर का चयन और भुगतान को बनाएं रखने में भी पारदर्शिता बनाए रखना।
- नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्राप्ति और भुगतान, आय-व्यय लेखा साथ ही तुलना पत्र बनाये रखना आवश्यक है।
- वार्षिक प्रतिवेदन प्रारूप - वार्षिक कार्य योजना में लक्षित उपलब्धियों व बजट के संदर्भ में निम्नलिखित प्रारूप में बनाया जा सकता है।

पंचसूत्र
कार्यान्वयन
के बाद
नियमित बैठक
नियम का निर्धारण
ऑपरेटर का चयन
निमित मासिक टैरिफ
शुल्क का संग्रह
नियमित मासिक
लेखा जोखा

सेवा सुधार का प्रकार	क्या प्रस्तावित कार्य निर्धारित समय में पूरे हो गये? हाँ/नहीं, यदि नहीं तो कठिनाईयों व समय-सीमा के पालन/ क्रियान्वयन पूर्ण करने हेतु उठाये गये कदमों का विवरण	क्या कार्य बजट अनुमान के अंदर है? हाँ/नहीं, यदि नहीं तो अतिरिक्त राशि कितनी है तथा क्या इसका समायोजन संभव है अथवा अतिरिक्त वित्तीय सहयोग हेतु आवेदन किया गया है?	टिप्पणी एवं संबंधित दस्तावेज़ों के संदर्भ
संचालन-रख-रखाव क्षमता			
अनुबंध प्रबंधन क्षमता			
घरेलू संयोजन (कनेक्शन)			
पाईप नेटवर्क (विस्तार)			
पाईप नेटवर्क (रिसाव)			
जल संग्रहण			

सेवा सुधार का प्रकार	क्या प्रस्तावित कार्य निर्धारित समय में पूरे हो गये ? हाँ/नहीं, यदि नहीं तो कठिनाईयों व समय-सीमा के पालन/ क्रियान्वयन पूर्ण करने हेतु उठाये गये कदमों का विवरण	क्या कार्य बजट अनुमान के अंदर है? हाँ/नहीं, यदि नहीं तो अतिरिक्त राशि कितनी है तथा क्या इसका समायोजन संभव है अथवा अतिरिक्त वित्तीय सहयोग हेतु आवेदन किया गया है ?	टिप्पणी एवं संबंधित दस्तावेज़ों के संदर्भ
स्रोत (क्षमता वृद्धि)			
स्रोत (नवीन विकास)			
जल गुणवत्ता			
मीटरिंग सहित उपभोक्ता सेवा			
लेखा व बही खातों का रख-रखाव			
उपभोक्ता जानकारी			
बिल वितरण व संग्रहण की व्यवस्था			

पानी की टंकी के रख-रखाव व नियमित संचालन के विषय में मुख्य बातें

ऑपरेटर द्वारा ध्यान देने योग्य बातें

- पंप ऑपरेटर पंप को चलाने से पहले जांच ले की निर्धारित फेज में लाइन है या नहीं।
- सिस्टम में लाइन नहीं आ रही हो तो मेन स्वीच/कट-ऑउट फ्यूज की जांच कर लें। चालू करने के बाद यह देख लें कि स्टार्टर समुचित वोल्टेज एवं एम्पीयर ले रहा है या नहीं।

- केबिल अगर गर्म है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सही करवा लें।
- पंप चलाते समय अगर कोई भी ध्वनि संबंधी गड़बड़ी, पानी न खिंचना, तार से जुड़े सभी मानकों को परख लें अगर कोई गड़बड़ी मिले तो मोटर मेकेनिक से दिखा लें। पंप चलाने के पूर्व यह देख लें कि एनआर एवं स्लूइस वॉल्व खुला हो नहीं तो पंप जल जाएगा।
- टंकी की सफाई प्रत्येक छः महीने में एक बार अवश्य करा लें ।
- सदस्यों द्वारा यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लाभार्थी नल को खुला नहीं छोड़ें और तोड़े वरना पानी का अपव्यय होगा। साथ ही इसके कारण वार्ड के अन्तिम छोर पर पानी नहीं पहुंचेगा।

तकनीकी पक्ष

जल जीवन मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस काम के लिए कार्यदायी संस्थानों को चयनित किया गया है। इनका पूरा कार्य ओवरहेडटैंक से पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और करीब 80% ग्रामीण परिवारों में नल से जल उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेदारी है। ये निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करते हैं।

टंकी के लिए स्थान चयन के बाद मिट्टी और पानी की जांच

- बोरिंग और पानी निकलने के बाद पानी की पुनः जांच
- ओवरहेडटैंक का निर्माण
- प्रेशर कम से कम 6 किलोग्राम मेंटेन रहना चाहिए।

पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाना

- खुदाई कम से कम 01.10 मीटर होनी चाहिए।
- पाइप नाली के अंदर नहीं बिछाई जाए। पाइप नाली से 1 मीटर दूर डाली जानी चाहिए।
- नाली क्रासिंग / रोडक्रासिंग हेतु डाली जाने वाली पाइपलाइन MS केसिंग के अंदर से डाली जाए।
- पाइप के मोड़ पर कंक्रीट थ्रस्ट ब्लॉक का निर्माण हो। ढलान पर एंकर ब्लॉक बनाए जाएं।
- डीपीआर के अनुसार पाइप की मोटाई।

पाइप की गुणवत्ता की परख -

- हर गांव के अनुसार पाइप की लंबाई भिन्न हो सकती है। प्रेशर को बनाए रखने के लिए सही मोटाई वाला पाइप को क्रम में लगाना आवश्यक होता है। पाइप नेटवर्क PN-6PE100-180 से शुरू होकर PN-6PE100-63 तक

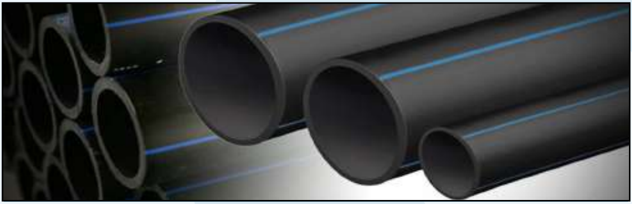

बिछाया जाएगा जिससे पानी का प्रेशर बना रहे।

- **HDPE पाइप** - वितरण प्रणाली में HDPE पाइप का उपयोग प्रस्तावित है। यह पाइप काले रंग का होता है । पूरे पाइप में नीले रंग की एक पतली धारी बनी होती है। पाइप के ऊपर PE100PN6 प्रिंट होता है। पाइप के व्यास के लिए DN110 प्रिंट रहता है। 110 संख्या पाइप के बाहरी व्यास का संकेतक है। यह संख्या 63 , 75, 90, 110, 125, 140, 180, 200 आदि हो सकती है।
- **MDPE पाइप** - मुख्य पाइप से घर के परिसर तक घरेलू संयोजन के लिए 20mm OD MDPE पाइप का उपयोग प्रस्तावित है। यह पाइप नीले रंग का होता है ।
- **DI पाइप** - राइजिंग मेन के लिए DI K7 पाइप प्रस्तावित है। पाइप का विवरण सॉकेट के पास अंकित होता है।
- एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा और एक निर्धारित तापमान से जोड़ने का कार्य किया जाएगा जिससे प्रेशर पड़ने पर जोड़ के खुलने की संभावना कम होगी। फिर भी हेडपोस्ट और पाइप की नियमित देखरेख करने की आवश्यकता होगी। पाइप गरम करने के बाद जब ठंडा हो जाए तभी गड्ढे में डाला जाए नहीं तो पानी के प्रेशर से खुलने की संभावना बनी रहेगी।

- स्टैंड पोस्ट लगवाते समय देख लें की कनेक्शन के लिए दो प्वाइंट दिए गए हैं या नहीं।

पाइप का भंडारण-

- भंडारण छायादार स्थान पर हो अगर छायादार जगह न मिले तो तिरपाल से ढका होना चाहिए।
- पाइप रखने का स्थान समतल हो।
- पाइप को घसीटा न जाए।

सीमेंट की गुणवत्ता की परख –

सीमेंट बैग पर

- ISI मार्क हो
- कंपनी का नाम / ब्रांड की स्पेलिंग सही हो
- कंपनी का ट्रेडमार्क अंकित हो।
- Ordinary Portland cement (OPC) का प्रयोग हो।
- सीमेंट का ग्रेड OPC 53 अंकित हो।
- 33 एवं 43 ग्रेड के सीमेंट स्वीकार नहीं किए जाएं।
- वजन 50 kg अंकित हो।
- उत्पादन तिथि से 03 माह के भीतर करें सीमेंट का उपयोग
- सीमेंट के उत्पादन की तिथि बैग पर इस प्रकार अंकित रहती है : D30 W36

M09 Y21 (D– Date, W- Week, M- Month, Y- Year).

सीमेंट का भंडारण इस प्रकार हो

I. सीमेंट बैग कमरे के फर्श से 150-200mm ऊपर तथा दीवारों से 600mm अलग हो।

II. सीमेंट बैग की चट्टे की ऊंचाई 10 बैग से अधिक न हो।

III. बरसात के मौसम में सीमेंट के ढेर को तिरपाल से ढक दिया जाए।

IV. सीमेंट में यदि रोड़े (Lumps) बनने लगे तो इस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाए।

V. स्टैण्डर्ड ब्रांड के ही सीमेंट का प्रयोग सुनिश्चित हो।

TMT Bar (सरिया) की परख –

I. RCC स्ट्रक्चर में TMT bar का प्रयोग होता है।

II. स्टैण्डर्ड ब्रांड के सरिया में प्रत्येक मीटर पर मैन्युफैक्चरर की सीलअंकित होनी चाहिए।

III. स्टैण्डर्ड ब्रांड केसरिया में मैन्युफैक्चरर का लोगो अंकित होता है।

IV. जांच करें कि प्रत्येक सरिया पर मैन्युफैक्चरर का सही नाम अंकित हो। उदहारण के लिए TATA द्वारा उत्पादित सरिया पर TATA TISCON TMT BAR अंकित होता है। उसी प्रकार SAIL द्वारा उत्पादित सरिया पर SAIL AND VIZAG CRM TMT BAR अंकित होता है। इसी प्रकार अन्य उत्पादक के सरिया पर अंकित नाम का सही पहचान किया जाए।

V. सरिया की स्ट्रेंथ (strength) Fe 500/ Fe 550... आदि तथा सरिये का व्यास 10, 12, 16... आदि (इकाई रहित अंक) सरिये पर उत्कीर्ण (engraved) रहता है।

VI. पूर्णतया जंगरहित सरिया का ही इस्तेमाल हो।

VII. स्टैण्डर्ड ब्रांड के प्रत्येक सरिये की लम्बाई 12 मीटर (40 फ़ीट) होती है।

VIII. सरिये की आपूर्ति बंडल में होती है।

बालू की परख-

- कंक्रीट मिक्सचर में उपयोग किया जाने वाला बालू स्वच्छ हो।
- अशुद्धियां (धूल आदि) 5% से अधिक न हो।
- बालू छानकर प्रयोग में लाया जाए।
- महीन बालू (fine sand) का प्रयोग न हो।

गिट्टी की परख-

- कंक्रीट मिक्सचर में उपयोग किया जाने वाला पानी स्वच्छ हो। तालाब या गड्ढे का नहीं हो।
- कंक्रीट मिक्सचर में उपयोग की जाने वाली गिट्टी क्रश्ड स्टोन से बनी हो।

- नुकीली हो।
- चिकनी बिलकुल न हो।
- साइज 6mm – 20mm तक हो।
- नदी से एक चिकने कंकड़ का उपयोग बिल्कुल नहीं हो।

पंप हाउस के मुख्य बिन्दु

- जल कल परिसर की चारों दीवारों की ऊंचाई 1.30 मीटर हो।
- 3.60 x 1.20 मीटर साइज की लोहे का एक बड़ा गेट तथा 1.20 मीटर चौड़ाई के लोहे का दूसरा एक छोटा गेट बना हो।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

एकजुटता के साथ कोई भी लक्ष्य हम सब हासिल कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए क्योंकि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जहां पर्यवेक्षक और कर्मचारी विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका तय करते हैं। इस दृष्टिकोण का उपयोग अनुभवी पेशेवरों के साथ किया जाता है। जिसमें सुधार, प्रेरणा और उचित व्यवहार शामिल होते है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था से कोई दिक्कत होती है तो पहले समस्या को समझ कर सामूहिक समाधान निकालने की कोशिश करें जब भी आप देखरेख करने जाये उसको इस डायरी में अपनी टिप्पणी लिखते जाये और सभी सदस्यो की इसकी सूचना देते रहे जिससे सबकी जानकारी में रहेगा और बैठक के समय उस मुद्दे पर चर्चा किया जा सके।

देखरेख के फीडबैक को संकलित करने लिए प्रारूप

क्रम संख्या	भ्रमण(देखरेख) की तिथि	भ्रमण का स्थान	टिप्पणी	हस्ताक्षर

सेहत और समय का सम्मान

सम्मान कनेक्शन